

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 64/2017

अपीलार्थी-

बनाम

उत्तरदाता-

प्रवीणसिंह पुत्र मालमसिंह जाति
राजपूत निवासी उमरलाई खालसा
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

1. उप तहसीलदार जसोल
2. तहसीलदार पचपदरा

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 22.08.2017 जो प्रकरण सं. 80/2017 मे उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदातागण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 30/07/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार जसोल द्वारा प्रकरण सं. 80/2017 सरकार बनाम प्रवीणसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 22.08.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का उमरलाई द्वारा उप तहसीलदार जसोल के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा उमरलाई खालसा के खसरा नम्बर 522/266 रकबा 21-18 बीघा किस्म गैर मुमकीन चारागाह सरकारी भूमि मे से 800 वर्गफीट भूमि पर गैर सायल प्रवणसिंह द्वारा बाड़ा बनाकर कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल द्वारा दौरान सुनवाई




जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थित होकर भी कोई जवाब व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये। इस पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 22.08.2017 के द्वारा 0.50/- रुपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 19.09.2017 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।
4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आनन-फानन में प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में विषय वस्तु के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबूत व दस्तावेज अभिलेख पर नहीं लिये गये तथा केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। हल्का पटवारी ने राजनैतिक दबाव में आकर अपीलांट के विरुद्ध गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं कि अपीलांट ने गे0मु0 चारागाह भूमि पर अवैध निर्माण किया हैं। अपीलांट कई वर्षों से अपने रहवासीय पक्के मकान में निवास कर रहा है इस तथ्य पर गौर किये बिना एवं जांच किये बिना राजनैतिक दबाव में आकर




जिला कलेक्टर
जापुर

अपीलांट को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने के आशय से उक्त अपीलाधीन आदेश बेदखली का पारित किया है जो अपास्त व निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोंडेंट की ओर से जवाब में पैरोकार सरकार ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरुद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम उमरलाई खालसा के खसरा नम्बर 522/266 रकबा 21-18 बीघा किस्म गैर मुमकीन चारागाह सरकारी भूमि में से 800 वर्गफीट भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई स्वयं अपीलांट उपस्थित हुआ किंतु कोई जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये, न ही इस अपील में भी कोई ठोस आधार प्रकट किये गये हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट ने चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा किया है तथा इसके प्रतिरक्षण स्वरूप कोई साक्ष्य-सबूत नहीं है। इस पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

7. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को ग्राम उमरलाई खालसा के 800 चारागाह भूमि पर पक्का मकान बनाकर कई वर्षों से निवासरत होना प्रकट किया है, किन्तु इसके सम्बन्ध में कोई स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे यह साबित हों कि अपीलांट का कब्जा विधिवत है। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 22.08.2017 को वह स्वयं उपस्थित हुआ है तथा आदेशिका पर उसकी उपस्थिति के हस्ताक्षर





जिला कलक्टर
बाड़मेर

अंकित है। जब स्वयं अपीलांत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हैं तो उसे अपना जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत करना चाहिए था इसके बावजूद भी यदि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अपीलांत द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांत को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। फलस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2017 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर उप तहसीलदार जसोल को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

9. आदेश आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाडमेर
जिला कलक्टर
बाडमेर